



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 वैशाख 1942 (श०)

(सं० पटना 303) पटना, वृहस्पतिवार, 14 मई 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

14 मई 2020

एस० ओ० 126 दिनांक 14 मई 2020--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, बिहार राज्यपाल, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 108, दिनांक 6 मई, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 265 दिनांक 6 मई, 2020, द्वारा प्रकाशित किया गया था, का निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में-

- (i) प्रथम पैरा में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“परंतु व्यक्तियों के ऐसे वर्ग में वे निगमित ऋणी नहीं आयेंगे जिन्होंने आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के पहले तक की सभी कर अवधियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 37 के अधीन विवरण और धारा 39 के अधीन विवरणी भर दिया है।”;
- (ii) पैरा 2 के स्थान पर, तारीख 21 मार्च, 2020 से प्रभावी अवधियों के लिए, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

“2. रजिस्ट्रीकरण - ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी तारीख की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी पूर्व में रजिस्टर्ड था, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के तीस दिन के भीतर या 30 जून, 2020 तक, जो भी पश्चात का हो, नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा।”।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9)-820)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

14 मई 2020

एस० ओ० 126 दिनांक 14 मई 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9)-820)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 14th May 2020

S.O. 126 Dated 14th May 2020-- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 108 dated the 6th May, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 265 dated the 6th May, 2020, namely:-

In the said notification

- (i) in the first paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the said class of persons shall not include those corporate debtors who have furnished the statements under section 37 and the returns under section 39 of the said Act for all the tax periods prior to the appointment of IRP/RP.”;

- (ii) for the paragraph 2, with effect from the 21st March, 2020, the following paragraph shall be substituted, namely: -

“2. **Registration.**- The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP / RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration) in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP or by 30th June, 2020, whichever is later.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9)-820)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 303-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>